दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्र. 16/2015 द्वारा स्थापित)

रायपुर नाका, दुर्ग (छ.ग.) – 491001

Email: exam@durguniversity.ac.in Website: www.durguniversity.ac.in Phone & Fax 0788-2359300

//अधिसूचना//

क्र. 692/परीक्षा/2017 दुर्ग, दिनांक 24.10.2017

विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 25वीं बैठक दिनांक 19.04.2017 की कार्यवाही विवरण के प्रस्ताव क्रमांक–11 में **"वार्षिक परीक्षा परिणाम में आंतरिक मूल्यांकन के अंक जोड़ने संबंधी"** प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया है कि स्नातक स्तर पर छःमाही परीक्षा के अंक को वार्षिक परीक्षा के अंक में जोड़ा जाना है, जिसमें आंतरिक मूल्यांकन का अंक 10 प्रतिशत एवं मुख्य परीक्षा का अंक 90 प्रतिशत होगा।

समन्वय समिति के निर्णयानुसार यह प्रावधान दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग से संबद्ध समस्त महाविद्यालयों में सत्र 2017–18 से अधिमान्य किया जाता है।

उपरोक्त प्रावधान सत्र 2017–18 में केवल प्रथम वर्ष की परीक्षाओं में जो क्रमशः आगामी सत्रों में द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की परीक्षाओं में लागू होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ.क्र. 693/परीक्षा/2017 दुर्ग, दिनांक : 24.10.2017

प्रतिलिपिः–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन मंत्रालय, नया रायपुर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक–सी–30, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
4. परीक्षा नियंत्रक, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग।
5. प्राचार्य, संबद्ध समस्त महाविद्यालय, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग।
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

कुलसचिव